न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 22–तीन/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–11–2011 – पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 540/2010–11 अपील

सतेन्द्र कुमार सिंह (दत्तक) पुत्र स्व.उदयराज सिंह
ग्राम पड़ौनिया तहसील गोपदबनास जिला सतना ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती शिवराज पत्नि लालबहादुर सिंह कर्चुली
निवासी कस्तरी तहसील हुजूर जिला रीवा

2– श्रीमती सुभद्रा पत्नि बहादुर सिंह चन्देल
नूतन कालोनी गोपद बनास जिला सीधी

3– श्रीमती आशासिंह पत्नि अर्जुनसिंह वघेल
ग्राम करोदिया उत्तर टोला तहसील गोपदबनास ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अरूण सिंह)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर.के.देशपांडे)

आ दे श

(आज दिनांक 11 -8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण 540/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–11–11 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम पडैनिया पवाई स्थित भूमि कुल किता 10 के भूमिस्वामी उदयराज सिंह थे जिनकी मृत्यु उपरांत आवेदक ने तहसीलदार गोपदबनास के यहां बसीयत के आधार पर नामान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार गोपदबनास ने प्रकरण कमांक 5 अ–6/2008–09 पॅजी किया तथा

उपस्थित पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 9-1-2009 पारित किया एंव मृतक खातेदार के स्थान पर आवेदक का समस्त रकबे पर एंव सर्वे कमांक 147 के अंश रकबा 1.50 पर अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 291/08-09 पर दर्ज हुई है एंव दूसरी अपील अनावेदक कमांक 1 श्रीमती शिवराज सिंह द्वारा की गई है जो प्रकरण कमांक 367/2009-10 अपील पर पंजीबद्ध हुई है। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों प्रकरण एकसाथ किये एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 4-10-10 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर सीधी ने प्रकरण कमांक 11/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-5-11 से निगरानी अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण 540/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-11-11 से निगरानी अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि श्रीमती शिवराज सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई अपील कमांक 367/2009-10 तहसीलदार के आदेश दिनांक 9-1-2009 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 22-5-2009 को प्रस्तुत की गई है जो लगभग 131 दिन वाद है जिसमें से निर्धारित अवधि 45 दिन कम करने पर अपील लगभग 86 दिवस विलम्ब से है जिसे अनुचित विलम्ब मानकर निगरानीकर्ता को न्याय से बंचित नहीं किया जा सकता । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 16-11-11 में , कलेक्टर सीधी द्वारा आदेश दिनांक 30 मई, 11 में तथा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-10-10 में दिए गये निष्कर्ष अनुसार श्रीमती शिवराज सिंह अर्थात निगरानीकर्ता

को तहसीलदार ने सुनवाई हेतु सूचना पत्र दिनांक 9-7-07 जारी किया है जो अदम तामील वापिस हुआ है परन्तु तहसीलदार ने श्रीमती शिवराज सिंह को नोटिस निर्वाह न होने के वाद पुनः सूचना पत्र जारी नहीं किया , जिसके कारण श्रीमती शिवराज सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को क्षमा किया गया है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 16-11-11 में , कलेक्टर सीधी द्वारा आदेश दिनांक 30 मई, 11 में तथा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-10-10 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है। वैसे भी हितबद्ध पक्षकारों को अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष सुनवाई का एंव पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण 540/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-11-11 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता हे।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर